न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 17 / 2022

प्रार्थी

दुर्गाराम पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नारायणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
2. सुरेन्द्र पुत्र नारायणसिंह
3. कालूसिंह पुत्र नारायणसिंह
4. कैलाश कंवर पत्नी नारायणसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. कालूराम पुत्र बंशीलाल
6. फाउलाल पुत्र तुलछाराम
7. पाबुराम पुत्र गोकलराम
8. गुलाबचन्द पुत्र बद्रीलाल
9. तेजाराम पुत्र बद्रीलाल
10. नन्दकिशोर पुत्र बद्रीलाल
11. स्वरूपराम पुत्र बद्रीलाल
12. भरत पुत्र चम्पालाल
13. पारसराम पुत्र भंवरलाल
14. पन्नालाल पुत्र भंवरलाल
15. धन्नाराम पुत्र भंवरलाल
16. भवानीलाल पुत्र मदनलाल
17. चेतन पुत्र मदनलाल
18. महेन्द्र कुमार पुत्र बंशीलाल
19. रामचन्द्र पुत्र चम्पालाल
20. शत्रुधन पुत्र चम्पालाल
21. श्रवण पुत्र बंशीलाल
22. हेमन्त कुमार पुत्र चम्पालाल जातियान ब्राहमण निवासीगण ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के कायम मुकाम
    - 22/1 अरूणा देवी पत्नी हेमन्त कुमार
    - 22/2 दयाल पुत्र हेमन्त कुमार
    - 22/3 दीपिका पुत्री हेमन्त कुमार
      नबालिग की कुदरती वलीया माता अरूणा देवी
23. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर
24. एक्स ई एन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. बिलाडा
25. एस ई जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री भागीरथ सोढा अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 24, 25 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 3, 5 से 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी सं. 23– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक 7।10।21

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 तथा अप्रार्थी सं. 5 से 22 के नाम की संयुक्त खातेदारी की खाता सं. 54 में कृषि भूमि ग्राम उदलियावास में आयी हुई है। उक्त पक्षकारान की भूमि खसरा नंबर 341 रकबा 0.0728 हैक्टयर स्थित है। उक्त बेरे में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व अप्रार्थी सं. 5 से 22 का शामलाती है। उक्त बेरे की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र है एवं उक्त गै.मु.बेरा की भूमि पर इन अप्रार्थी ने मिल कर अन्य प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 5 से 22 को उक्त कुआ व बिजली कनेक्शन का उपयोग में लेने से रोक रखा है। उक्त बेरा ब्राहमणों का नवौडा के नाम से जाना जाता है। जिस पर वर्ष 1988 में विद्युत कनेक्शन बद्रीलाल पुत्र श्री पुनाराम जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 5 से 22 के पूर्वज थे के नाम से लिया हुआ है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने छल कपट कर एवं लाठी लकडी के बल पर उक्त विद्युत कनेक्शन जो खसरा सं. 341 पर लिया हुआ था को नाजायज रूप से एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त विद्युत कनेक्शन खसरा सं. 329 पर शिफ्ट कर दिया है जो कार्यवाही की गई है। उसमें अप्रार्थी सं. 23, 24 व 25 के अधीनस्थ कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त विद्युत कनेक्शन को अन्यत्र कृषि भूमि में स्थानान्तरित किया गया है। तथा खसरा नंबर 331 रकबा 0.0728 हैक्टयर है उक्त रास्ता को भी गौचर भूमि में तारबन्दी कर बन्द कर दिया है जबकि उक्त रास्ता भी शामलाती है। खसरा नंबर 333 रकबा 0.1780 हैक्टयर, खसरा नंबर 334 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नंबर 337 रकबा 0.2508 हैक्टयर, खसरा नंबर 340 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नंबर 368 रकबा 0. 2670 हैक्टयर, खसरा नंबर 369 रकबा 0.2670 हैक्टयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.2346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 की शामलाती आयी हुई है। जिसमे आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0728 हैक्टेयर एक मात्र रास्ता है जो उक्त खसरान की भूमि में आने जाने का शामलाती रास्ता है जिसको अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने खसरा नम्बर 331 मे तारबन्दी करके रास्ता बन्द कर दिया है जिस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 की उक्त खसरान की भूमि में आना जाना नहीं होने एवं साधन नही ले जाने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

के कारण काफी वर्षों से बिना बुवाई के पड़ी है जबकि रास्ता खसरा नम्बर 331 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 एक तथा अप्रार्थी संख्या 06 से 22 का शामलाती है जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अकेले का नहीं है बावजूद जबरन लाठियों के बल पर रास्ता मे तारबन्दी करके बन्द कर दिया है ग्राम उदलियावास मे खाता संख्या 234 के खसरा नम्बर 332 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.0890 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 05 से 22 की शामलाती स्थित है जो उक्त भूमि मे भी आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0728 हैक्टेयर गे.मु. रास्ता ही है। जो उक्त रास्ते में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के द्वारा जबरन तारबन्दी कर दिये जाने के कारण उक्त खसरान की भूमि में भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 05 से 22 काश्त नहीं कर पा रहे है एवं काफी वर्षों से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 05 से 22 की भूमि मौके पर बिना बुवाई के काफी वर्षों से पड़ी है जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 अपनी फसल से वंचित हो रहे है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 की आजीविका भी उक्त खसरान की भूमि ही है। शामलाती भूमि मे जमाबन्दी मे वर्णित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 का हक हिस्सा निहित है। ग्राम उदलियावास की सरहद मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 236 के खसरा नम्बर 329 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.4773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.1294 हैक्टेयर की भूमि पूर्व मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 के पूर्वज चम्पालाल के नाम की खातेदारी की थी। जो उक्त खसरान की भूमि पूर्व मे चम्पालाल पुत्र श्री रावतमल जाति ब्राहमण निवासी उदलियावास के नाम पर थी जो जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2027 से 2031 मे चम्पालाल पुत्र श्री रावतमल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। मगर उक्त खसरान की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 की सयुक्त खातेदारी की होते हुए भी राजस्व अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो से सांठ करके बिना बेचान के उक्त खसरान की भूमि मे से खसरा नम्बर 345 रकबा 0.2670 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 रकबा 0.3074 हैक्टेयर को अप्रार्थी संख्या 04 कैलाशकंवर जो अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नि है के नाम से करवा दी है। तथा खसरा नम्बर 327 रकबा 0.1456 हैक्टेयर खसरा नम्बर 343 रकबा 0.2346 हैक्टेयर भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 के पूर्वज चम्पालाल पुत्र श्री रावतमल के नाम से खातेदारी दर्ज थी जिसको भी गुपचुप तरीके से अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 02 सुरेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज करवा दी है जबकि उक्त खाता संख्या 236 के सभी खसरान की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 के पूर्वजों से प्राप्त शामलाती खातेदारी की थी मगर अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने स्वयं के नाम से एवं अपनी पत्नि कैलाश कंवर व पुत्र सुरेन्द्रसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 को उनके हक हिस्से की भूमि से हमेशा के लिये महरूम कर दिया है जबकि उक्त पद में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 स्वयं की भूमि है जिसमे अप्रार्थी संख्या 01,02,03, व 04 का कोई हक हिस्सा नही है बावजूद राजस्व अधिकारीयो से सांठ गांठ कर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम से करवा दी है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा फर्जी दस्तावेज बना कर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो जाली दस्तावेज बना कर विद्युत कनेक्शन का अकेला मालिक बन कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 को अपने सम्पूर्ण अधिकारो से वंचित करने पर व प्रार्थी का रास्ता रोकने व मारपीट करने के संबंध में पुलिस थाना बिलाड़ा में कार्यवाही की जिस पर पुलिस अधिकारी जिन्हाने जांच मुलजिम (अप्रार्थी संख्या 01 नारायणसिंह से मिल कर यह रिपोर्ट दी कि अप्रार्थी संख्या 24 के कार्यालय मे उक्त विधुत कनेक्शन जो प्रार्थी के बेरे पर जो बद्रीलालजी के नाम से लिया हुआ है उक्त कनेक्शन को ही विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने नाम करवा रखा है। जिसमे पुलिस अधिकारी ने जांच मे यह लिखा है कि अप्रार्थी संख्या 24 के कार्यालय मे व उनके अधीनस्थ कार्यालय मे उक्त विधुत कनेक्शन के संबंध मे पत्रावली उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रार्थी ने उक्त पत्रावली की फोटो प्रति उक्त जांच अधिकारी को दी थी । जांच अधिकारी का भी कर्तव्य था कि वे अप्रार्थी संख्या 24 या उनके अधीनस्थ उक्त पत्रावली जहां पर भी उपलब्ध थी प्राप्त करते एवं फर्जी दस्तावेज की जांच संबंधित विशेषज्ञ से करवाते परन्तु उक्त जांच अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 24 के कार्यालय से सांठ गांठ कर पत्रावली को गुम होना बताया। जबकि पत्रावली अप्रार्थी संख्या 24 के कार्यालय में मौजुद है। प्रार्थी दुर्गाराम के साथ प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने मिल कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के कारण हमला कर रूपये 70,312 अक्षरे सतर हजार तीन सौ बारह रूपये लूट लिये व दोनो हाथ तोड़ दिये। जिस पर उक्त प्रार्थी को अपने दोनो हाथों मे स्टील की रोड़ लगानी पड़ी व हमेशा के लिये अपंग हो गया। इस प्रकार की कार्यवाही करने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 का अत्यन्त दबाव व प्रभाव होने के कारण साधारण मारपीट का मुकदमा बना कर चालान पेश कर दिया एवं प्रार्थी द्वारा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के विरूद्ध कार्यवाही की जाने पर उक्त पुलिस जांच अधिकारी ने मुस्तगीसध्वादी की मदद करने की बजाय उनके साथ अन्याय किया है एवं जो तथ्य मौके पर मौजुद थे जिनके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अभियुक्त साबित है परन्तु उन सभी तथ्यों व दस्तावेजो को बलपूर्वक झूठा लिखा है । इसके लिये प्रार्थी उनके विरूद्ध अलग से कार्यवाही करेगा । उक्त वादग्रस्त बेरा मग विधुत कनेक्शन खसरा संख्या 341 को उक्त अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 01 से 04 उपयोग व उपभोग में नहीं लेने देने की नियत से उक्त बेरे पर लगे विद्युत कनेक्शन जो खसरा संख्या 329 पर अप्रार्थी संख्या 24 व 25 के सहयोग से स्थानान्तरित कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 सभी काश्तकारों को अपने हक हिस्से में उपयोग व उपभोग लेने से वंचित कर दिया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 05 से 22 अपने बेरे पर विद्युत कनेक्शन के अभाव में कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है जिस कारण प्रार्थी जो काश्तकार व्यक्ति है। काश्त कार्य करने से वंचित होने के कारण व रास्ता अवरूध कर देने के कारण व पुलिस थाना बिलाड़ा का नाजायज लाभ लेकर वादी के परिवार को भूखों मरने की स्थिति पर ला दिया है। प्रार्थी लाठी लकड़ी के बल पर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का मुकाबला नही कर पा रहा जिस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि एवं प्रार्थी के कुए व उनके विधुत कनेक्शन का उपयोग व उपभोग लेने से वंचित करने से एवं अपूर्णीय क्षति होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 प्रार्थी के कुए व कनेक्शन का उपयोग अकेले कर रहे है जिन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। उक्त अप्रार्थी संख्या 01 एक को प्रार्थी के हक हिस्से जो जमाबन्दी में दर्ज है के अनुसार उपयोग करने से बाधा डालने से हमेशा के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है । प्रार्थी सह खातेदार काश्तकार है एवं कुआ व विद्युत कनेक्शन शामलाती है उक्त कुआ व विद्युत कनेक्शन का उपयोग व उपभोग अपने हिस्से अनुसार करने के अधिकारी है। अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही हो रही है क्योकि प्रार्थी अपने कुए व विद्युत कनेक्शन से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी के परिवारो को भूखों मरने की स्थिति मे ला दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 04 लाठी लकड़ी के बल पर व पुलिस थाना के नाजायज सहयोग लेकर प्रार्थी के साथ टंटा फिसाद कर खाने कमाने योग्य नही रख रहे है हाथ पैर तोड़ रहे है ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त कुआ खसरा संख्या 341 तीन सौ इकतालिस व जिस पर लगा विधुत कनेक्शन जो नाजायज रूप से खसरा संख्या 329 तीन सौ उनतीस पर लगा रखा है। उक्त दोनो खसरो का तहसीलदार बिलाड़ा को रिसीवर नियुक्त किया जावे । जिसे कि जन धन की हानि होने से रोका जा सके। ऐसा नहीं किये जाने पर उक्त अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व उनके सहयोगी और खून खराबा करके रहेगे।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त दोनो खसरो व विद्युत कनेक्शन का तहसीलदार बिलाड़ा को रिसीवर नियुक्त कर कब्जा रिसीवर को दिलाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 24, 25 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किय गया। अप्रार्थी सं. 3, 5 से 21 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये गये, बार–बार आवाज भी दिलवाई गयी किन्तु अप्रार्थी सं. 3, 5 से 21 की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 3, 5 से 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 24, 25 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा पैरा सं. 1 मे यह वर्णित करना कि अप्रार्थी सं. 1 छल कपट कर एवं लाठी लकड़ी के बल पर जिस प्रकार वर्णित किया है उसकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को नही होने से अस्वीकार है। आगे के पद मे प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है वह गलत, आधारहीन व कपोलकल्पित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा इस पद मे उक्त अप्रार्थीगण पर जो आरोप लगाये है वह बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वर्णित किये है अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 2 मे जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है जिनकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को नही है। जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 3 में जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है जिनकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को नही है। जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 4 मे जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है कि ग्राम उदलियावास की सरहद मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 5 से 22 बावजूद राजस्व अधिकारियो से साठ गाठ कर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नाम करवा दी है। उक्त तथ्यो की जानकारी अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को नही है। जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 5 मे जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है वह गलत, आधारहीन व कपोलकल्पित होने से अस्वीकार है। इस पद मे प्रार्थी द्वारा उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर बढाकर वर्णित किया है जिसमे लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। जहां तक इस पद मे यंह उल्लेख किया जाना कि अप्रार्थी सं. 24 के कार्यालय मे उक्त विधुत कनेक्शन पत्रावली उपलब्ध नही है। जिस प्रकार उक्त तथ्यो का उल्लेख किया है वह सही नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यो से संबधित दस्तावेजात अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को उपलब्ध नही करवाये है। इस पद में उल्लेखित पुलिस जांच किया जाना बताया है जिसके कमांक व किस वर्ष पुलिस द्वारा जांच की गई उसका उल्लेख नही किया है. ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजात उपलब्ध करवाये है। अन्य तथ्य प्रार्थी सक्षम साक्ष्य से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 6 में जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है जिनकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को नहीं है। जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 7 मे यह उल्लेख करना कि विधुत कनेक्शन खसरा सं. 341. अपने हक

सहायक कलक्टर
एवं तेप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हिस्से मे उपयोग व उपभोग लेने से वंचित कर दिया है। जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है वह गलत, आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त पद में लगाये गये आरोप के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये है इस आधार पर यह उपधारणा की जाती है कि प्रार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से उक्त अप्रार्थीगण पर जो तथाकथित आरोप लगाये है वह अक्षरशः आधारहीन है जिसमे लेश मात्र भी सच्चाई नही है। आगे के पद में प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार उल्लेख किया है वह प्रार्थी सक्षम साक्ष्य से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 8 में जिस प्रकार तथ्यो को वर्णित किया है जिनकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 24 व 25 को नहीं है। जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 10 में श्रीमान के समक्ष मूल वाद पेश करने के व सफलता मिलने के तथ्यो का उल्लेख किया है इस संबंध में उल्लेख है कि प्रथमतः प्रार्थी द्वारा इस पद वर्णित मूल वाद की प्रति उक्त अप्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिये उक्त पद का जवाब दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा तथाकथिंत मूल वाद किन धाराओ मे प्रस्तुत किया है वह भी उक्त पद में वर्णित नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र मूल वाद के अभाव मे कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद की प्रति दिलाये जाने पर जवाब देने हेतू श्रीमान न्यायालय की अनुमति अनुसार स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थी द्वारा पद सं. 11 में जिस प्रकार तथ्यों को वर्णित किया है वह प्रार्थी सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन नहीं है, ना ही प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रार्थी द्वारा पद सं. 12 में जिस प्रकार तथ्यों को वर्णित किया है वह प्रार्थी स्वयं सक्षम दस्तावेजात से साबित करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार महोदय को रिसीवर नियुक्त किये जाने के संबंध में जिस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह धारा 212(1) राज.काश्तकारी अधिनियम के निश्चित प्रावधानों के विपरित होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गुजारिश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर सव्यय खारिज किये जाने का न्यायोचित आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से दावे के साथ पेश की गई जमाबंदी में खसरा नम्बर 341 गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 331 गैर मुमकीन रास्ता के बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया है, लेकिन प्रार्थना पत्र में यह नही बताया है कि किस अप्रार्थी का कितना हिस्सा है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हिस्से एवं बंट में कितनी भूमि आयेगी, जबकि भूमि खसरा नम्बर 341 गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 331 गैर मुमकीन रास्ता के बाबत कभी भी बंटवाडा नहीं किया जा सकता है तथा न ही विवादग्रस्त बेरा व रास्ता की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 384 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी केशाराम पुत्र चम्पालाल, हेमन्त कुमार रामचन्द्र, भरत, शत्रुघन पिसरान चम्पालाल ब्राह्मण की थी। खातेदार केशाराम पुत्र चम्पालाल तथा हेमन्त कुमार, रामचन्द्र, भरत, शत्रुघन पिसरान चम्पालाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती कलावती पत्नी चम्पालाल ने इस भूमि को तथा इस भूमि पर लगे विद्युत कनेक्शन मय इम्प्रुवमेन्टस की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या–1 नारायणसिंह को बैचान कर दिया था, उस बैचाननामें दिनांक 25.10.1985 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 को खातेदार दर्ज कर दिया। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी कलावती पत्नी स्व. चम्पालाल, हेमन्त कुमार रामचन्द्र, भरत, शत्रुघन पिसरान चम्पालाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कलावती पत्नी चम्पालाल की थी। खातेदार कलावती, हेमन्त कुमार, रामचन्द्र, भरत, शत्रुधन पिसरान चम्पालाल ने इस भूमि को तथा इस भूमि पर लगे विद्युत मोटर, पाईप लाईन, पम्पिंग सेट, होज, आदि की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या–4 कैलाश कंवर पत्नी नारायणसिंह को बैचान कर दिया था, उस बैचाननामें दिनांक 25.02.1987 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड वैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–4 श्रीमती कैलाश कंवर को खातेदार दर्ज कर दिया। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी श्रीमती कलावती पत्नी स्व. चम्पालाल, हेमन्त कुमार रामचन्द्र, भरत, शत्रुधन पिसरान चम्पालाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती कलावती पत्नी चम्पालाल की थी। खातेदार कलावती, हेमन्त कुमार, रामचन्द्र, भरत, शत्रुधन पिसरान चम्पालाल ने इस भूमि को तथा इस भूमि पर लगे विद्युत मोटर, पाईप लाईन, पम्पिंग सेट, होज, आदि की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 नारायणसिंह को वैचान कर दिया था. उस वैचाननामें दिनांक 26.02.1987 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 नारायणसिंह को खातेदार दर्ज कर दिया। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी केशाराम पुत्र स्व. चम्पालाल की थी। खातेदार केशाराम ने इस भूमि को तथा इस भूमि पर लगे विद्युत मोटर, पाईप लाईन, पम्पिंग सेट, होज, आदि की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या–4 कैलाशकंवर को बैचान कर दिया था, उस वैचाननामें दिनांक 19.06.1986 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–4 कैलाशकंवर को खातेदार दर्ज कर दिया। तब से इस भूमि पर कब्जाकाश्त अप्रार्थी संख्या 1

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से 3 का चला आ रहा है, प्रार्थी ने दावे में विक्रय पत्र की तारीख नही लिखी है। उपरोक्त चारों बेचाननामा को लेकर चम्पालाल पुत्र रावतमल ने अपने जीवनकाल में बेचाननामा को निरस्त कराने हेतु का कोई दावा पेश नही किया है, तो प्रार्थी इन विक्रय पत्रों को निरस्त क्यों कराना चाहते है तथा प्रार्थी का चम्पालाल की भूमि से कोई सम्बन्ध नही है इस कारण प्रार्थी विक्रय पत्र को निरस्त क्यों कराना चाहते है इसका स्पष्ट उल्लेख दावे में नही किया है। अतः प्रार्थी जब तक चारों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा देते तब तक प्रार्थी का दावा चलने योग्य नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 334 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 340 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 368 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 375 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 390 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा–10 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास की खातेदारी पूनाराम पुत्र भेराराम, सत्यनारायण पुत्र पूनाराम जातियान ब्राह्मण निवासीगण उदलियावास तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार पूनाराम व सत्यनारायण ने इस भूमि में 1/2 हिस्सा तथा इस भूमि पर लगे विद्युत कनेक्शन मय इम्प्रुवमेंटस का 1/8 वां हिस्सा की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 नारायणसिंह को बैचान कर दिया था, उस बैचाननामें दिनांक 04.06.1981 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 को खातेदार दर्ज कर दिया। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 335 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 336 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 370 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 372 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 373 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 374 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 388 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 11 बिस्वा कुल खसरा–13 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास की खातेदारी पूनाराम पुत्र भेराराम जाति ब्राह्मण निवासी उदलियावास तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार पूनाराम ने इस भूमि में 1/8 हिस्सा तथा इस भूमि पर लगे विद्युत कनेक्शन मय इम्प्रुवमेंटस का 1/8 वां हिस्सा की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या–1 नारायणसिंह को वैचान कर दिया था, उस वैचाननामें दिनांक 12.05.1981 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 को खातेदार दर्ज कर दिया। भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरा–02 कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम उदलियावास की खातेदारी बद्रीलाल पुत्र पूनाराम जाति

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ब्राह्मण निवासी उदलियावास तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार बद्रीलाल ने इस भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा तथा इस भूमि पर लगे विद्युत कनेक्शन मय इम्प्रुवमेंटस आदि की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या–1 नारायणसिंह को बैचान कर दिया था, उस बैचाननामें दिनांक 09.12.1982 का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 को खातेदार दर्ज कर दिया। उपरोक्त चारों बेचाननामा को लेकर बद्रीलाल पुत्र पूनाराम ने अपने जीवनकाल में बेचाननामा को निरस्त कराने हेतु का कोई दावा पेश नही किया है, तो प्रार्थी इन विक्रय .पत्रों को निरस्त क्यों कराना चाहते है तथा प्रार्थी का बद्रीलाल की भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी बद्रीलाल की भूमि को पुनः बद्रीलाल के वारिशान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रार्थी विक्रय पत्र को निरस्त क्यों कराना चाहते है इसका स्पष्ट उल्लेख दावे में नही किया है। अतः प्रार्थी जब तक चारों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा देते तब तक प्रार्थी का दावा चलने योग्य नही है। उपरोक्त मामले में बद्रीलाल पुत्र पूनाराम ब्राह्मण का विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया हुआ था जो विद्युत कनेक्शन बद्रीलाल का स्वअर्जित था। बद्रीलाल ने अपने जीवनकाल में विद्युत कनेक्शन को अप्रार्थी संख्या–1 नारायणसिंह को बैचान कर दिया। जो कार्यालय सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बिलाड़ा द्वारा जारी किया गया नाम परिवर्तन विद्युत कनेक्शन का आदेश क्रमांक 1458 दिनांक 06.01.1989 से साबित है। प्रार्थी ने गैर मुमकीन बेरा, गैर मुमकीन रास्ता तथा विद्युत कनेक्शन के शिफ्टिंग बारें में दावा पेश किया है। गैर मुमकीन बेरा, गैर मुमकीन रास्ता, विद्युत कनेक्शन के शिफ्टिंग के बारे में दावा सुनने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार नही है। इस कारण प्रार्थी का दावा/प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थी की ओर से दावे में विद्युत शिफ्टिंग का मामला होना बताया गया है, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–84 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 427, 420, 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवायी, जिसका अनुसंधान पुलिस द्वारा किया गया एवं मामले में पुलिस ने मामले को झूठा मानकर एफ.आर. को प्रस्तुत किया गया है। विद्युत शिफ्टिंग का मामला सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 341 में कोई बेरा मोजूद नहीं हैं। बेरा जर्जर अवस्था में करीब 40 वर्षों से पडा है तथा बेरा सूख चुका है। भूमि खसरा नम्बर 341 गैर मुमकीन बेरा शामलाती संयुक्त खातेदारी की है, जिसका कभी भी बंटवाडा नही हो सकता है तथा न ही बेरा की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। बेरा व रास्ता की भूमि पर प्रार्थी को किसी प्रकार की दखल करने का अधिकार नहीं है तथा न ही उपयोग उपभोग में दखल आदि करने का अधिकार है। प्रार्थी का कोई भूमि खसरा नम्बर 341 पर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से जारी किया हुआ नहीं है। प्रार्थी शामलाती भूमि खसरा नम्बर 341 गैर मुमकीन बेरा तथा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 331 गैर मुमकीन रास्ता के बाबत् रिसीवर नियुक्त नही करवा सकता है तथा संयुक्त खातेदारी का बेरा व रास्ता की भूमि पर कभी भी रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है तथा नही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 द्वारा अतिरिक्त कथन पेश किये जो इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 341 गैर मुमकीन बेरा व खसरा नम्बर 331 गैर मुमकीन रास्ता का कभी भी बंटवाडा नहीं किया जा सकता है तथा न ही बेरा व रास्ता की भूमि पर कभी भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र केवल इसी आधार पर खारीज योग्य है। प्रार्थी का दावा ही विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय खारीज करने का आदेश फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि राजस्व ग्राम उदलियावास के खसरा नंबर 341 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा स्थित है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 5 से 22 का शामलाती है। वादग्रस्त कुआ खसरा नंबर 341 जिस पर लगा विद्युत कनेक्शन जो नाजायज रूप से खसरा नंबर 329 पर लगा रखा है। उक्त दोनों खसरों का तहसीलदार बिलाडा को रिसीवर नियुक्त किया जावें। अप्रार्थी सं. 24 व 25 द्वारा प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप को गलत, आधारहीन व कपोलकल्पित होने से अस्वीकार किया है। तथा अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 द्वारा खसरा नंबर 342, खसरा नंबर 384 ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा की खातेदारी केशाराम पुत्र चम्पालाल, हेमन्त कुमार रामचन्द्र, भरत, शत्रुघ्न पिसरान चम्पालाल ब्राहमण की थी। जिसका रजिस्टर्ड बैचान मय बेरा व विद्युत कनेक्शन के दिनांक 25.10.1985 को अप्रार्थी सं. 1 नारायणसिंह को किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 341 किस्म गै.मु.बेरा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न कर यह साबित नही कर पाया कि वादग्रस्त कुआ शामलाती है। कुआं से पानी के संरक्षण के लिए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह इस अधिनियम की धारा 5(17) के अर्थ में जोत नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार वादग्रस्त कुआ प्रार्थी का साबित नहीं हो रहा है। इस कारण मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 7/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा